कस्टम हायरिंग सैन्टर की स्थापना 2018–19

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

आवश्यक सूचना

हरियाणा प्रदेश के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान केन्द्र सरकार के नई इन–सीटू क्रोप रेजीडयू मैनेजमैन्ट स्कीम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापित किये जायेगें जिसके लिए इच्छुक किसानों के समूह, किसानों की सहकारी सोसाइटियों, एफ0पी0ओ, स्वयं सहायता समूह, रजिस्टर्ड किसान सोसाइटी/किसान समूह, प्राईवेट उद्यमी, महिला किसान समूह या स्वयं सहायता समूह से आवेदन आमंत्रित किये जाते है । इस स्कीम के तहत कम से कम 10 लाख रुपये तथा अधिकतम 75 लाख रुपये की परियोजना लागत के कस्टम हायरिंग सैन्टर बनाए जा सकते है जिस पर उसी अनुरूप अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है । कस्टम हायरिंग सैन्टर के कुल परियोजना लागत में कम से कम 35 प्रतिशत इन–सीटू क्रोप रैजीडयू मैनेजमैन्ट मशीनरी (केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत 8 प्रकार के कृषि यन्त्रों में से कोई भी) का होना अनिवार्य है ।

इस बारे में विस्तृत जानकारी विभागीय वैबसाईट www.agriharyana.gov.in पर उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त स्कीम के बारे में जानकारी व आवेदन पत्र संबंधित उप–कृषि निदेशक / सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय से प्राप्त करके निर्धारित समय के अन्दर आवेदन कर सकते है (**समय सीमा 02–05–2018 प्रातः 10 बजे से दिनांक 31–05–2018 सांय 5 बजे तक निर्धारित है**)।

निदेशक,
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा,
पंचकूला